

**श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) :** अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है . . .

**अध्यक्ष महोदय :** बगैर इत्तला दिए यह नहीं आ सकता ।

**श्री रामसेवक यादव :** यह महत्वपूर्ण विषय है, इसका हाल ही में पता चला था । इसी सदन के एक सदस्य श्री बी०पी० मोर्य . . .

**अध्यक्ष महोदय :** मैं उस पर आ रहा हूँ । वह मेरे पास है । मुझे इसी बात का तो अफसोस होता है कि मेम्बर साहिबान वक्त से पहले किसी चीज को एंटिसिपेट कर लेते हैं ।

**श्री बागड़ी (हिसार) :** अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन अकाल के बारे में है . . .

**अध्यक्ष महोदय :** इस वक्त आप यह नहीं कह सकते । मुझे बगैर इत्तला दिए यह नहीं आ सकता । आप बैठ जाएं ।

**श्री बागड़ी :** शुरू सेशन से मैं ने यह चीज सदन के सामने रखी है . . .

**अध्यक्ष महोदय :** आप बैठ जाएं । अगर आपने इत्तला दे रखी है तो आपको जवाब मिल जाएगा । और जिस वक्त उसको मनासिब समझूंगा हाउस में रखूंगा । मगर यह नहीं हो सकता कि जब कोई माननीय सदस्य चाहे तो खड़ा हो कर अपनी बात शुरू कर दे । ऐसा नहीं हो सकता । इस तरह कार्रवाई नहीं चल सकती ।

**श्री बागड़ी :** मेरी एक आपसे अर्ज है, उसे सुन लीजिए ।

**अध्यक्ष महोदय :** यह वक्त नहीं है । मुझे कार्रवाई चलाने दीजिए । आप मुझ से मिल लीजिए । अगर मैं मनासिब समझूंगा तो जरूर उसे हाउस के सामने रखूंगा ।

**श्री बागड़ी :** यह महत्वपूर्ण बात है . . .

**अध्यक्ष महोदय :** यह महत्वपूर्ण है या नहीं, इसका फैसला आपको नहीं करना है ।

और न यह फैसला आपको करना है कि इसे किस वक्त लिया जाए ।

**श्री बागड़ी :** अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मैं यह बात बहुत अर्र से आपके सामने रख रहा हूँ . . .

**अध्यक्ष महोदय :** आप इस तरह काम में रुकावट नहीं डाल सकते ।

**श्री बागड़ी :** मैं रुकावट नहीं डाल रहा हूँ, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ ।

**अध्यक्ष महोदय :** मगर आप इस तरह नहीं कर सकते । मैं ने बार बार कहा है कि आप बैठ जाएं ।

**श्री रामसेवक यादव :** क्या श्री मोर्य के सम्बन्ध में आप कोई इत्तला दे रहे हैं ?

**अध्यक्ष महोदय :** मैं कह चुका हूँ कि वह मामला आ रहा है । इस तरह से आप प्रोसीडिंग्स को इंटरप्ट न करें ।

12.23 hrs.

#### PAPERS LAID ON THE TABLE

#### NOTIFICATIONS UNDER CUSTOMS ACT AND CENTRAL EXCISES AND SALT ACT

**The Minister of Planning and Minister in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat):** I beg to lay on the Table—

- (i) a copy of Notification No. G.S.R. 1830 dated the 30th November, 1963, making certain further amendment to the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, under section 159 of the Customs Act 1962 and section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944.

[Placed in Library. See No. LT-2088/63].

- (ii) a copy each of the following Rules under section 38 of the

Central Excises and Salt Act,  
1944:—

- (a) The Central Excise  
(Twenty-seventh Amend-  
ment) Rules, 1963 publish-  
ed in Notification No. G.S.R.  
1825 dated the 30th Novem-  
ber, 1963.

- (b) The Central Excise  
(Twenty-eighth Amend-  
ment) Rules, 1963 publish-  
ed in Notification No. G.S.R.  
1826 dated the 30th Novem-  
ber, 1963.

[Placed in Library. See No.  
LT-2089/63]

- (iii) a copy each of the following  
Notifications under section  
159 of the Customs Act,  
1962:—

- (a) Notification No. G.S.R. 1791  
dated the 23rd November,  
1963.

- (b) Notification No. G.S.R. 1792  
dated the 23rd Novem-  
ber, 1963.

[Placed in Library. See No.  
LT-2090/63]

- (iv) a copy of Notification No.  
F. 4(45)/63-Fin (E) publish-  
ed in Delhi Gazette dated the  
7th November, 1963, making  
certain further amendments  
to the Delhi Sales Tax Rules,  
1951, under sub-section (4)  
of section 26 of the Bengal  
Finance (Sales Tax) Act,  
1941, as in force in the Union  
Territory of Delhi.

[Placed in Library. See No.  
LT-2091/63]

#### NOTIFICATION UNDER RESERVE BANK OF INDIA ACT

**Shri B. R. Bhagat:** On behalf of  
Shrimati Tarkeshwari Sinha I beg  
to lay on the Table a copy of Reserve  
Bank of India Notification No. 1 dated  
the 30th November, 1963, making  
certain amendment to the Reserve

Bank of India (Note Refund) Rules,  
1935, under proviso to section 28 of  
the Reserve Bank of India Act, 1934.

[Placed in Library. See No. LT-  
2092/63].

12.25 hrs.

#### ARREST OF SHRI B. P. MAURYA

**Mr. Speaker:** I have to inform the  
House that I have received the  
following communication, dated the  
12th December, 1963, from the Sub-  
inspector of Police, Allahabad, Camp,  
Police Station, Parliament Street,  
New Delhi:

"I have the honour to inform  
you that Shri B. P. Maurya,  
Member, Lok Sabha, was arrested  
at 8.30 A.M. on the 12th Decem-  
ber, 1963 in case No. 707 under  
rule 41(c) of the Defence of India  
Rules and he is going to be pro-  
duced before A.D.M., Delhi, with  
the request for transferring to  
Allahabad."

**श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) :**

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं ने एक  
कार्लिंग अटेंशन मोशन दिया था। मेरा  
निवेदन है कि आज जब मैं सवेरे अखबार पढ़  
रहा था तो श्री मोर्य का टेलीफोन मेरे पास  
आया और मुझे यह इतिला मिली कि उन्होंने  
ने ३० अप्रैल सन् १९६३ को जो एक भाषण  
इलाहाबाद में दिया था, जिस से जनता में  
रोष पैदा होने की सम्भावना थी पुलिस की  
राय में, उस के लिए उन को डिफेंस आफ  
इंडिया रूल्स के अन्तर्गत गिरफ्तार किया  
गया है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार  
डिफेंस आफ इंडिया रूल्स का उपयोग विरो-  
धियों को दबाने के लिए किया जा रहा है।  
इससे तो जो हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के  
और मौलिक अधिकार हैं उन का हनन  
होता है। यह बड़े महत्व का विषय है। मेरा  
निवेदन है कि इस पर चर्चा की जाय।

**Shri Nath Pal (Rajapur):** I should  
like to avail myself of this opportu-  
nity to bring to the notice of the Prime